भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या –70 / 2023–24

	आदेश	कि गई कार्रवाई
27/7/23	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पटमदा के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्ते विद्यमान है :–	

1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही पिछड़ी जाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही एक ही जिला के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि इसी जिले के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र अभिलेख के साथ संलग्न है)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (ख) के अन्तर्गत विक्रेता :– **देवेन्द्र नाथ महतो, पिता–स्व0 केरानी महतो उर्फ किरानी महतो**, जाति–**कुर्मी**, ग्राम–**जाल्ला**, थाना–पटमदा, **अंचल–पटमदा**, जिला–पूर्वी सिंहभूम को मूल्य–**1,20,000/**–रूपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :– **विभूति महतो**, पिता–**महेश्वर महतो**, जाति–**कुर्मी**, ग्राम–**लोवाडीह**, थाना–**पटमदा**, अंचल–**पटमदा**, जिला–**पूर्वी सिंहभूम**, जमशेदपुर के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
जाल्ला	**145**	**66**	**84**	**0.06$\frac{1}{2}$ए0**

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

27/07/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर

Digitally signed by GOUTAM KUMAR
Date: 2024.08.27 15.04.15 +05:30
Location: 10.93.20.53